(40)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः डीजी–सात–58(1)2011

दिनांकः जून२। ,2017

सेवा में,

1– निदेशक, सर्तकता, उत्तराखण्ड ।
2– पुलिस महानिरीक्षक पी0ए0सी0, उत्तराखण्ड ।
3– पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार, उत्तराखण्ड।
4– पुलिस महानिरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तराखण्ड।
5– पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना , अभिसूचना मुख्यालय देहरादून।
6– पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस, उत्तराखण्ड।
7– पुलिस उप महानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
8– पुलिस उपमहानिरीक्षक , कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल ।
9– पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय देहरादून ।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्यालय के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या डीजी–सात–45–2008, दिनांक 14–3–2008 के द्वारा दिनांकः 7–3–2008 को राज्य पुलिस स्थापना समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों के आधार पर अराजपत्रित पुलिस/पीएसी/अग्निशमन कार्मिकों की विभागीय स्थानान्तरण नीति प्रख्यापित की गयी है। पूर्व में प्रख्यापित स्थानान्तरण नीति में कर्मचारियों के गृह जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्राविधान न होने के कारण दिनांकः 17–6–2017 को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत पुलिस स्थापना समिति की बैठक में पूर्व में निर्धारित स्थानान्तरण नीति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

पुलिस विभाग में नियुक्त सभी संवर्गो के **मुख्य आरक्षी/आरक्षी (अभिसूचना संवर्ग सहित) तथा लीडिग फायरमैन/**फायर सर्विस चालक/फायरमैन/**प्रधान परिचालक/सहायक परिचालक/कर्मशाला सहायक एवं लिपिकीय** संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक(एम)/**कान्स0(एम), जिनका गृह जनपद पिथौरागढ, बागेश्वर, चम्पावत,** चमोली, **उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग है, को उनके उक्त गृह जनपदों में नियुक्त/स्थानान्तरण किया** जा सकेगा। गृह जनपद में **नियुक्त कार्मिकों को उनकी गृह तहसील में नियुक्त नही किया जायेगा।**

अतः पुलिस स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पुलिस विभाग में नियुक्त उपरोक्त पदधारकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(केवल खुराना)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित** :–

1– प्रधानाचार्य,पी0टी0सी0 नरेन्द्र नगर टिहरी ।
2– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3– समस्त सेनानायक, पीएसी/आईआरबी/एटीसी/एसडीआरएफ/एस0टी0एफ0।
4– राज्य रेडियो अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–एक/सात/पॉच'ए' उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक के सहायक **को पुलिस महानिदेशक, महोदय के संज्ञानार्थ।**

SECT DR- 975/320
DT- 21/6/17

Scanned by CamScanner

पुलिस विभाग के मुख्य आरक्षी/आरक्षी (अभिसूचना संवर्ग सहित) तथा लीडिग फायरमैन / फायर सर्विस चालक/फायरमैन/प्रधान परिचालक/सहायक परिचालक / कर्मशाला सहायक एवं लिपिकीय संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक(एम)/कान्स0(एम) के कार्मिकों हेतु निर्धारित स्थानान्तरण नीति में आंशिक संशोधन हेतु दिनांकः 17-06-2017 को आहूत राज्य पुलिस अधिष्ठान समिति की गोष्ठी का कार्यवृत्त

पुलिस मुख्यालय के अ0शा0 पत्र संख्याः डीजी-7-45-2008 दिनांकः 14-03-2008 के द्वारा दिनांकः 07-03-2008 को राज्य पुलिस स्थापना समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों के आधार पर अराजपत्रित पुलिस/पीएसी/अग्निशमन कार्मिकों (अभिसूचना/सुरक्षा शाखा को छोड़ते हुये) विभागीय स्थानान्तरण नीति प्रख्यापित की गई है। पूर्व में प्रख्यापित स्थानान्तरण नीति में उक्त संवर्ग के कर्मचारियों के गृह जनपद में नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्त सम्बन्ध में सम्मयक विचारोपरान्त राज्य पुलिस अधिष्ठान समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि सभी संवर्गों के **मुख्य आरक्षी/आरक्षी (अभिसूचना संवर्ग सहित) तथा लीडिग फायरमैन**/फायर सर्विस चालक/**फायरमैन/प्रधान परिचालक/सहायक परिचालक /कर्मशाला** सहायक एवं **लिपिकीय संवर्ग** के सहायक **उपनिरीक्षक(एम)/कान्स0(एम)**, जिनका गृह जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग है, को उनके उक्त गृह जनपदों में नियुक्त/स्थानान्तरण किया जा सकेगा। गृह जनपद में नियुक्त कार्मिकों को उनकी गृह तहसील में नियुक्त नही किया जायेगा।

अतः पुलिस विभाग के अ0शा0 पत्र संख्याः डीजी-7-45-2008 दिनांकः 14-03-2008 के द्वारा दिनांकः 07-03-2008 को राज्य पुलिस अधिष्ठान समिति की बैठक में विभागीय स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी निर्णयों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

17.06.17
(आर0एस0 मीना)
अपर पुलिस महानिदेशक, अप0/का0व्य0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

17.06.17
(अशोक कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

17/6
(एम0 ए0 गणपति)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

जे0एस0 पाण्डे
आई.पी.एस.

अ0शा0 पत्र स0: डीजी–सात–45–2008
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन,
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
12–सुभाष रोड़, देहरादून।

दिनांक मार्च 14 , 2008

प्रिय महोदय,

दिनांक 7–3–2008 को राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक में की गयी संस्तुतियों के आधार पर अराजपत्रित पुलिस/पीएसी/अग्निशमन कार्मिकों (अभिसूचना/सुरक्षा शाखा को छोड़ते हुए) विभागीय स्थानान्तरण नीति के विषय में निम्नानुसार नीति बनायी गयी है:–

(1) एक जनपद में निरीक्षक/उप निरीक्षक की नियुक्ति अवधि 08 वर्ष से अनधिक (इसमें उ0नि0. अथवा हे0कान्स0 के पद पर उस जनपद में की गयी सेवा अवधि भी शामिल है।) हे0कान्स0 की नियुक्ति अवधि 12 वर्ष से अनधिक इसमें कान्स0 के पद पर उस जनपद में नियुक्ति अवधि भी शामिल है, तथा कान्स0 की 16 वर्ष से अनधिक ।

(2) एक थाने में निरीक्षक/उप निरीक्षक/हे0कान्स/कान्स की अधिकतम नियुक्ति अवधि 03 वर्ष रहेगी।

(3) सामान्यतः उसी जिले में दोबारा नियुक्ति पिछली नियुक्ति के 03 वर्ष के समाप्त होने से पूर्व नहीं की जायेगी ।

(4) उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत होने पर किसी कान्स0/हेड कान्स0 का सम्बन्धित जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरण किया जायेगा।

(5) उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति की दशा में प्रथम नियुक्ति सामान्यतः जिला पुलिस से बाहर अर्थात अजनपदीय शाखा में कम से कम 02 वर्ष के लिए। यदि अजनपदीय शाखाओं में सभी प्रोन्नत निरीक्षकों का समायोजन सम्भव न हो तो जनपद देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल को छोड़कर अन्य जनपदों में उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु उपरोक्त चार जनपदों में नियुक्ति से पूर्व उन्हें कम से कम 02 वर्ष तक किसी अजनपदीय शाखा में नियुक्त रहना आवश्यक होगा ।

(6) थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त उप निरीक्षक/निरीक्षक का स्थानान्तरण उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किसी कर्मी का स्थानान्तरण कभी भी किया जा सकता है।

(7) कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी निम्नानुसार होंगे:–

(क) समस्त अराजपत्रित कार्मिकों का एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र तथा एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरण उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(ख) समस्त अराजपत्रित कार्मिकों का परिक्षेत्र के अन्तर्गत एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण परिक्षेत्रीय स्तर पर किया जायेगा।

(ग) समस्त अराजपत्रित पीएसी कार्मिकों का एक वाहिनी से दूसरी वाहिनी में स्थानान्तरण पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(घ) समस्त अराजपत्रित कार्मिकों का जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण जनपदीय पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(ङ.) समस्त अराजपत्रित कार्मिकों का वाहिनी के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रभारी सेनानायक द्वारा किया जायेगा।

(8) उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय / परिक्षेत्रीय कार्यालयों / वाहिनी कार्यालयों / अन्य कार्यालयों में कार्यकारी पुलिस बल के कार्मिकों की नियुक्ति अवधि 03 वर्ष से अधिक नहीं रहेगी।

(9) यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने के लिए मात्र दो वर्ष ही रह गये हों तो, यथासम्भव उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन जनपदों / शाखाओं में से एक में तैनात किया जायेगा।

(10) किसी विशिष्ट मामले में उपरोक्त नियमों में शिथिलीकरण पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जा सकता है।

2— अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनायें जायें:—

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(2) यदि पति—पत्नी सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद / नगर / स्थान पर तैनात किया जाय।

(3) यदि कोई पुलिस कर्मी आदेशों के विरूद्ध एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य / आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक नियमावली—2003" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।

3— अभिसूचना / सुरक्षा विभाग के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना / पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना द्वारा अलग से स्थानान्तरण नीति जारी की जायेगी।

Scanned by CamScanner

4— उपरोक्त नीति के अनुरूप स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी अपने–अपने जनपद/ परिक्षेत्रों में स्थानान्तरण 25 मार्च, 2008 तक अवश्य कर लें। यदि परिक्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण करना हो, तो इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय को सम्बन्धित द्वारा सूचना 20 मार्च 2008 तक अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

भवदीय,

14/3/08

(जे0एस0पाण्डे)

14/3/08

1- पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ/गढ़वाल परिक्षेत्र ।
2- पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था/फायर सर्विस उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4- पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना/सुरक्षा/पीएसी/प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5- पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजनिंग/मार्डनाईजेशन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6- पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--
1- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड ।
2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी/आईआरबी/एटीसी सहित, उत्तराखण्ड ।
3- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून ।
4- अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक,उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून ।
5- पुलिस उपाधीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून ।
6- अनुभाग अधिकारी अनुभाग–एक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून ।

Scanned by CamScanner